उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार–249404

Website: psc.uk.gov.*in*

(01334) 244143
(01334) 244282
07060002410

विज्ञापन संख्या :: **A-3 / DR / S-3 / 2023-24**

प्रयोगशाला सहायक, उच्च शिक्षा विभाग
(समूह 'ग') परीक्षा–2023

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	**05 अगस्त 2023**
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	**25 अगस्त, 2023 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)**

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1.	अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532 / 2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित होना चाहिए।
2.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् **दिनांक 25 अगस्त, 2023** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
3.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता / आयु / आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में माना जायेगा।

5.	**ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या–12 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।** **अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।**
6.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए **परिशिष्ट–01**, पाठ्यक्रम के लिए **परिशिष्ट–02,** आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–03,** न्यूनतम अर्हक अंक हेतु **परिशिष्ट–04,** परीक्षा केन्द्र/जनपद के चयन हेतु **परिशिष्ट–05,** 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–06** तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु **परिशिष्ट–07** एवं अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों से सम्बन्धित चैकलिस्ट हेतु **परिशिष्ट–08** का अवलोकन करें।
7.	**i-** आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। **ii.** प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा। **iii.** आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। **iv.** विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण–पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। **v.** लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा –शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया**

	विनियमावली–2022 के भाग–नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। **vi. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई–मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई0 डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।**
8.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही पदों हेतु **वरीयता (Preference) ऑनलाइन** ली जाएगी। पदवार वरीयता (Preference) हेतु लिंक खोलने के सम्बन्ध में सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। वरीयता प्रपत्र (Preference Sheet) की प्रिंटआउट प्रति अन्य शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पदवार ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) भरने के पश्चात् इसमें किसी प्रकार का संशोधन संबंधी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
10.	प्रश्नगत लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के **परिशिष्ट–04** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी/उप–श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
11.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जायेगी।
12.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा–शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13.	अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार एक से अधिक पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सम्बन्धित पदों का उल्लेख किया जाना होगा। एक से अधिक पदों के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाये जाने की दशा में अभ्यर्थी को पदों हेतु वरीयता प्रपत्र (Preference Sheet) पर वरीयता (Preference) प्रस्तुत करना होगा, जो कि अभिलेख सत्यापन से पूर्व आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
14.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट www.psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
15.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4 के पत्रांक–

	16/XXX(4)/2023-03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा **उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023** प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत **प्रयोगशाला सहायक** के कुल 107 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षिक अर्हतानुसार विभिन्न विषयवार रिक्तियों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को उक्त पदों हेतु विज्ञापन में निहित प्राविधानों के अनुसार आवेदन करना होगा। उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन विज्ञापन में उल्लिखित परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

02. रिक्तियों का विवरणः– प्रयोगशाला सहायक, उच्च शिक्षा विभाग (समूह 'ग') परीक्षा–2023 के अन्तर्गत विषयवार रिक्तियों की कुल संख्या 107 है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। विषयवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् हैः–

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

1.	**पदनाम**	**प्रयोगशाला सहायक**
2.	**कुल पदों की संख्या**	107
3.	**वेतनमान**	रू0 25,500–81,100 (लेवल–4)
4.	**पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना**	स्थायी, अराजपत्रित (समूह–ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित।
5.	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**	माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट परीक्षा, प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ **या** राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण (मान्यता प्राप्त परिषद यथा– एन0आई0ओ0एस0 से उत्तीर्ण समकक्ष अर्हता)।
6.	**अधिमानी अर्हता**	**(एक)** संबंधित प्रयोगशाला विषय से सम्बन्धित मान्यता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि। **(दो)** कम्प्यूटर अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का न्यूनतम 06 माह की अवधि का प्रमाण–पत्र। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में, जिसने– **(क)** प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो; या **(ख)** नेशनल कैडिट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, को अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।
7.	**आयु सीमा**	न्यूनतम आयु सीमा–18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा–42 वर्ष।

उत्तराखण्ड शासन/विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक पदों के सापेक्ष श्रेणी/उपश्रेणी वार उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नवत् है :–

क्र. स.	पद एवं विभाग	उर्ध्वाधर आरक्षण	पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उ0 महिला (UF)	दिव्यांग (PH)	भू0सै0 (EX)	स्व0सं0से0 (DFF)	अनाथ (Orphan)
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
01	**प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान**	अनारक्षित	06	02	01 (एल0वी0/पी0बी0)	00	00	00
		अनु0 जाति	06	02				00
		अनु0 जनजाति	01	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	03	01				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00				00
		योग	**18**	**05**	**01**	**00**	**00**	**00**
02	**प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान**	अनारक्षित	10	03	01 (एच0एच0/पी0डी0)	00	00	00
		अनु0 जाति	03	01				00
		अनु0 जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	03	01				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00				00
		योग	**18**	**05**	**01**	**00**	**00**	**00**
03	**प्रयोगशाला सहायक जन्तु विज्ञान**	अनारक्षित	14	04	01 (ओ0ए0, ओ0एल0, ओ0ए0एल0, एल0सी0, डी0डब्ल्यू0,ए0ए0वी0/ए0वी0,एम0डीवाई/एम0डब्ल्यू0)	01	00	01
		अनु0 जाति	03	01				00
		अनु0 जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	02	01				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00				00
		योग	**21**	**06**	**01**	**01**	**00**	**01**
04	**प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान**	अनारक्षित	11	03	01 (एस0एल0डी0, आई0डी0)	01	00	01
		अनु0 जाति	05	02				00
		अनु0 जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	03	01				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00				00
		योग	**21**	**06**	**01**	**01**	**00**	**01**
05	**प्रयोगशाला सहायक भूगोल**	अनारक्षित	10	03	01 (डी0, एल0वी0/पी0बी0, एल0सी0, ए0ए0वी0/ए0वी0, डी0डब्ल्यू0)	00	00	00
		अनु0 जाति	03	01				00
		अनु0 जनजाति	01	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	02	01				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	02	00				00
		योग	**18**	**05**	**01**	**00**	**00**	**00**
06	**प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान**	अनारक्षित	02	00	00	00	00	00
		अनु0 जाति	00	00				00
		अनु0 जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

क्र. स.	पद एवं विभाग	उर्ध्वाधर आरक्षण	पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या				
				उ0 महिला (UF)	दिव्यांग (PH)	भू0सै0 (EX)	स्व0सं0से0 (DFF)	अनाथ (Orphan)
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**
07	**प्रयोगशाला सहायक मनोविज्ञान**	अनारक्षित	02	00	00	00	00	00
		अनु0 जाति	00	00				00
		अनु0 जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	01	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**
08	**प्रयोगशाला सहायक मानव विज्ञान**	अनारक्षित	00	00	00	00	00	00
		अनु0 जाति	01	00				00
		अनु0 जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	**01**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**
09	**प्रयोगशाला सहायक बी0एस0सी0 गृहविज्ञान**	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु0 जाति	01	00				00
		अनु0 जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	**02**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**
10	**प्रयोगशाला सहायक शिक्षा शास्त्र**	अनारक्षित	02	00	00	00	00	00
		अनु0 जाति	01	00				00
		अनु0 जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

नोटः– विभाग द्वारा दिव्यांगजन उपश्रेणी के अंतर्गत विषयवार पदों को (एल0वी0/पी0बी0), (एच0एच0/पी0डी0), (ओ0ए0, ओ0एल0, ओ0ए0एल0, एल0सी0, डी0डब्ल्यू0,ए0ए0वी0/ए0वी0,एम0डीवाई/एम0डब्ल्यू0), (एस0एल0डी0, आई0डी0), (डी0, एल0वी0/पी0बी0, एल0सी0, ए0ए0वी0/ए0वी0, डी0डब्ल्यू0) हेतु आरक्षित किया गया है। यद्यपि उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक–05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की ओ0ए0, बी0ए0, ओ0एल0, बी0एल0, डी0, एच0एच0/पी0डी0, एल0वी0/पी0बी0, बी0, एल0सी0, एम0डब्ल्यू0 उप श्रेणी हेतु चिन्हांकित है। उक्त दिव्यांगजन उप श्रेणी के विषयवार आरक्षित पदों के अतिरिक्त **अन्य चिन्हांकित उप श्रेणियों के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं।** तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

03. आयु गणना की निश्चायक तिथि :–

प्रयोगशाला सहायक, उच्च शिक्षा विभाग (समूह 'ग') परीक्षा–2023 के अन्तर्गत रिक्त कुल 107 पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2023 है।

उक्त पदों हेतु **उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 34/उ0अ0से0च0आ0/2021 दिनांक 30 जून, 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की विनिश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 01 जुलाई, 2020 है।**

नोट– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 34/उ0अ0से0च0आ0/2021 दिनांक 30 जून, 2021 के क्रम में अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ तभी अनुमन्य किया जायेगा, जब अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान विज्ञापन के निर्धारित कॉलम में उक्त विज्ञापन का रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख किया गया हो। **अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय पूर्व विज्ञापन सं0–34, दिनांक 30.06.2021 के क्रम में किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा** अन्यथा अभ्यर्थी को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष **अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत छूट का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।**

04. अधिकतम् आयु सीमा में छूटः–

विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग** हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित** अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के **दिव्यांगजन** अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या–6/1/72 कार्मिक–2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के **पूर्व सैनिकों** को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

शासनादेश सं0–406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0–124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the

benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

05. आरक्षण :–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतत्रंता संग्राम सैनानी आश्रित, दिव्यांग, उत्तराखण्ड महिला एवं उत्तराखण्ड के अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित अन्य स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–03"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

i. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ अधिसूचना संख्या–133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासी, सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या–124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर–8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के "***O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease."*** का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अभिलेख सत्यापन के समय

आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट हेतु निर्गत शासनादेश सं0–38(1)/XXX(2)/2021–30(21)/2018, दिनांक 18.02.2021 के प्रस्तर–1 में उल्लिखित **"ऐसे पूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिये आरक्षित सिविल पदों के समूह–ग की उन सेवाओं/पदों के लिये अर्ह माना जायेगा, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परन्तु जहां उनके लिये तकनीकी या व्यवसायिक अनुभव अनिवार्य न हो या जहां गैर तकनीकी व्यवसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो के आलोक में शैक्षिक अर्हता स्नातक की समकक्षता संबंधी छूट प्रदान की जायेगी।"**

ii. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी0एफ0एफ0) को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

iii. शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

iv. अधिसूचना संख्या–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्यधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2023 से पूर्व तिथि का निर्गत नहीं होना चाहिए**। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

v. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 के पत्रांक– 415/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार **उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में 05 प्रतिशत** क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

vi. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में **उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम–2022 के प्रस्तर–3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।**

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

06. अनिवार्य/वांछनीय अर्हता :–

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत हैः– **शासन की अधिसूचना संख्या–164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,**

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाऐं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह ''ग'' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे',

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी **समूह ''ग''** के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ''ग'' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम–4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत **समूह ''ग''** के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक–1097/XXX(2)/2011, दिनाँक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार ''जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। **''उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–310/XXX(2)/2015, दिनाँक**

28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाऐं सम्मिलित हैं।''

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत् हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रुप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(iii) शासन के पत्रांक–809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनाँक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार ''जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।''

नोट– अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु अनिवार्य/वांछनीय अर्हता के प्रस्तर–i, ii एवं iii में उल्लिखित शर्तो के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है, जो अभ्यर्थी पर लागू हो।

07. राष्ट्रीयता :–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का, ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका देश– केनिया, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जाएगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार

में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

08. चरित्र :–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेंगे।

टिप्पणी– संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

09. वैवाहिक प्रास्थिति–

ऐसा पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही पत्नी जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगीः

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

10. शारीरिक स्वस्थता–

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ्य नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

11. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया **(Procedure to apply online)** :–

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** या **ukpsc.net.in** पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **ukpsc.net.in** पर जाकर **Menu bar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
3. **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर वांछित, अपनी सही जानकरी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit**

the same पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। फॉर्म पर **Educational Qualifications** के अन्तर्गत सर्वप्रथम **High School** का विवरण भरें एवं **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re-upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते है।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself" declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरें गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर वापस जाकर सही किया जा सकता है। वॉछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करनें के पश्चात् **Final Button** पर क्लिक कर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission के उपरान्त आवेदन–पत्र** में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते है। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** की जगह **Back** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0**(OTP)** प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन **(Cancel Application)** के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोटः (1) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म में वापस **(Back)** जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी

समस्या **(Technical Issue)** के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpline@gmail.com** पर ई–मेल कर सकते हैं।

(2) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

12. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया–

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा–निर्देशः–

(i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।

(ii) (Edit/Correction) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।

(iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।

(iv) लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।

(v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।

(vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नही पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

13. शुल्क :– शासनादेश संख्या 65880/2022, दिनांक 23 सितम्बर, 2022, एवं शासनादेश संख्या 70793/2022, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के क्रम में मा0 आयोग के निर्णय दिनांक 14.10.2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है

14. अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देशः–

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन–2016 और **उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022** यथा संशोधित आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** पर उपलब्ध है।

(03) विज्ञापित पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थी एक ही आवेदन में विभिन्न प्रयोगशाला विषयों के अन्तर्गत धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। प्रश्नगत पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) (Objective Type with Multiple Choice) आयोजित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत 02 प्रश्न पत्र सम्मिलित होंगे। **प्रश्न पत्र–I सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन (समयावधि 02 घण्टे व अधिकतम 100 अंक) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगा तथा प्रश्न पत्र–II विषयपरक् जानकारी (समयावधि 03 घण्टे व अधिकतम 200 अंक) से सम्बन्धित होगा, जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थी आवेदित पद के सापेक्ष प्रयोगशाला विषय में धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अनुसार विषयों (भौतिक विज्ञान/ रसायन विज्ञान/ जन्तु विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/ भूगोल/ गृह विज्ञान/ मनोविज्ञान/ मानव विज्ञान/ बी0एस0सी0 गृह विज्ञान/ शिक्षा शास्त्र) का चयन कर सकते हैं**, जिस हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित प्रयोगशाला विषय का चयन किया जाना होगा। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(05) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई–मेल **ukpschelpline@gmail.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

(06) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा –शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड **लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022** के भाग–नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार **अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया जायेगा।** अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

(08) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड–** वस्तुनिष्ठ प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्डस्वरूप (ऋणात्मक मूल्यांकन) किया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रुप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(09) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(10) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(11) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी (डिजिटल एवं एनालॉग आदि) अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(12) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित–** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। **ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश–2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।**

(13) **परीक्षा केन्द्र में आचरण–** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(14) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)–** सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु उन्हें उपलब्ध कराये गये उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (**पुरुष** अभ्यर्थी की दशा में **बायें अँगूठे** का निशान तथा **महिला** अभ्यर्थी की दशा में **दायें अँगूठे** का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(15) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(16) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(17) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम (औपबंधिक) होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(18) हाई स्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथा संशोधित–2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(20) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः–** अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या

परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(21) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः–

1.अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ड़) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्व उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने

का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(22) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(23) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(24) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(25) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(26) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदो के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित जनपदो में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य जनपदो में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा।

(27) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित फोटो पहचान पत्र (आई0डी0) अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(28) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(29) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(30) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारुपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-Sd-

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट–01

प्रयोगशाला सहायक (उच्च शिक्षा विभाग) पद पर चयन हेतु परीक्षा योजना

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र0 सं0	प्रश्नपत्र	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
1	प्रश्न पत्र–I	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन	100	100	2 घण्टे
2	प्रश्न पत्र–II	विषयपरक् जानकारी	200	200	3 घण्टे
कुल अंक			**300**		

नोटः 1–प्रश्न पत्र–I सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा।

नोटः 2–प्रश्न पत्र–II के अन्तर्गत अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार आवेदित पद के लिए उल्लिखित विषयों में से सम्बन्धित विषय का चुनाव कर सकते हैं।

नोटः 3–उक्त परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

परिशिष्ट–02

प्रश्न पत्र–I

(सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य)

सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या : 100 अधिकतम अंक : 100 समयावधि : 2 घण्टे

1 **सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी :** सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे।

2 **भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन :** भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन पर आधारित होंगे।

3 **भारतीय राज्य व्यवस्था :** भारतीय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे।

4 **भारत का भूगोल एवं जनांकिकी :** इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारस्थितिकीय, सामाजिक–आर्थिक और जनांकिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित होंगे।

5 **सम–सामयिक घटनाएं :** इसके अन्तर्गत प्रश्न उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे।

6 **उत्तराखण्ड का इतिहास :** उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका।

7 **उत्तराखण्ड की संस्कृति :** जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, परम्पराएं एवं रीति–रिवाज, वेश–भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित होंगे।

8 **उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी :** भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिटटी एवं बागवानी, प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एंव मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन, जल संकट और जलागम प्रबन्धन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन, उत्तराखण्ड की जनसंख्याः वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।

9 **उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन :** प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज तथा उद्योग, संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति। उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ।

10 **सामान्य बुद्धि परीक्षण** : सामान्य बुद्धि परीक्षण के अन्तर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है।

General Knowledge and General Studies

Paper-I
(Compulsory For All The Candidates)

Total Questions-100 **Maximum Marks-100** **Time : 2 Hours**

1. **General Science and Knowledge of Computer Operation:** Questions on General Science and Computer operation will cover general understating and application of science and Computers including matters of day-to-day observation.

2. **History of India and Indian National Movement:** Questions on history of India and Indian National Movement will be based on general understanding of ancient, mediaeval and modern India and India's freedom movement.

3. **Indian polity:** Questions on Indian polity will be based on Indian polity, Constitution and Panchayati raj.

4. **Geography and Demography of India:** Questions will be based on a general understanding of geographical, ecological, socio-economic aspects and demography of India.

5. **Current Events:** Questions will be based on important current events of Uttarakhand State and National.

6. **History of Uttarakhand:** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Mediaeval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India.

7. **Culture of Uttarakhand:** Question will be based on Castes and tribes, religious and folk beliefs, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, dances, songs, musical instruments, sports, tournaments and awards.

8 **Geography and Demography of Uttarakhand:** Geographical Setup. Rivers, mountains, climate, soils, forest resources and horticulture and Major crops of Uttarakhand. Means of irrigation. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management, Environment and environmental movements. Population of Uttarakhand: Distribution, density, sex ratio, literacy and migration.

9 **Economic and natural resoures:** Education system of the State and important educational institutes; tourism, minerals and industries. the position of utiliszation of resources. Various schemes being implemented in Uttrarakhand for the eradication of poverty and unemployment.

10 **General intelligence test :** In General Mental Ability, questions will includes test comprehension, reasoning and numerical ability.

प्रश्न पत्र–II

विषयपरक् जानकारी

(अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार आवेदित पद के लिए निम्न विषयों में से सम्बन्धित विषय का चुनाव कर सकते हैं।)

1. भौतिक विज्ञान

प्रश्नों की संख्याः 200 **अधिकतम अंकः 200**

यांत्रिकीः– एस0आई0 इकाईयां, मूल एवं व्युत्पन्न इकाईयां, मापन में त्रुटियां, भौतिक राशियों का आयाम, एक सीधी रेखा में समान और असमान गति, वृत्तीय गति, अदिश एवं सदिश राशियाँ, एक सदिश, समतल आयताकार घटकों का सदिश निरूपण, सदिशों का योग, घटाना एवं गुणा। न्यूटन का गति नियम; संवेग – संरक्षण का नियम एवं उपयोगिता। जड़त्व आघूर्ण, त्रिज्य परिभ्रमण, लम्बवत एवं समांतर अक्षों के प्रमेय। कार्य, ऊर्जा और शक्ति; गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, कार्य – ऊर्जा प्रमेय, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ग्रहीय ग्रहों के लिए केप्लर का नियम, गुरूत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, पलायन वेग, भू उपग्रह। द्रव्यों का लोचदार व्यवहार; हुक का नियम, प्रत्यास्थता गुणांक, श्यानता, स्टोक नियम, रेनाल्ड्स संख्या, बरनौली का प्रमेय। पृष्ठ ऊर्जा एवं पृष्ठ तनाव, संपर्क कोण। वर्नियर कैलिपर्स एवं स्क्रूगेज की समुचित उपयोगिता।

तापीय भौतिकीः–ऊष्मा एवं ऊष्मा स्थानांतरण; विभिन्न ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ट्रिपल प्वाइन्ट चालन, संवहन एवं विकिरण, न्यूटन का शीतलन नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम, प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम, ऊष्मा इंजन एवं रेफ्रिजरेटर। गैसों का अणुगत सिद्धांत।

दोलन एवं तरंगः– सरल आर्वत गति, सरल आर्वत गति में ऊर्जा–गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, प्रणोंदित एवं अवमंदित दोलन, डॉप्लर प्रभाव।

वैद्युत तथा चुम्बकत्वः–वैद्युत आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, कूलॉम नियम, विद्युत क्षेत्र, विभव एवं विभवान्तर, गॉस प्रमेय, संधारित्र तथा धारिता, संधारित्रों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन–श्रेणी एवं पार्श्व संयोजन, वान डे ग्राफ जनित्र, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी। वैद्युत का चुम्बकीय प्रभाव; चुम्बकीय क्षेत्र का अनुमान, बायो–सावर्ट नियम, ऐम्पियर का नियम एवं उनके अनुप्रयोग, साइक्लोट्रान, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम; व्युत्पन्न विद्युत वाहक बल एवं धारा, लेंज का नियम, स्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा, L C R श्रेणीबद्ध एवं पार्श्वबद्ध अनुनाद, शक्तिहीन धारा, विस्थापन धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की वर्तमान अनुप्रस्थ

प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। गैल्वैनोमीटर को अमीटर एवं वोल्टमीटर में परिवर्तन, सोनोमीटर के द्वारा मुख्य प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति।

प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्रः– प्रकाश का परार्वतन एवं अपवर्तन का नियम, दर्पण एवं लेंस मेकर सूत्र, प्रकाशिकी फाइबर (तन्तु), आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, मानव नेत्र एवं दोष (निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, जरादूरदृष्टि, दृष्टिवैषम्य, सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शक, आवर्धन क्षमता। हाइगेंस का सिद्धांत; व्यतिकरण, यंग का डबल स्लिट प्रयोग, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन, ध्रुवण, ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन तथा संसूचना, ब्रूस्टर नियम।

आधुनिक भौतिकीः–प्रकाश की दोहरी प्रकृति; प्रकाश विद्युत प्रभाव, आंइसटीन का प्रकाश – विद्युत समीकरण, दे ब्रॉग्ली सम्बन्ध, हाइड्रोजन परमाणु का बोर सिद्धान्त, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग। नाभिक आकार एवं संघटन; परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, रेडियोएक्टिवता, अल्फा, बीटा एवं गामा क्षय, बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय संलयन, विखंण्डन एवं नाभिकीय रिएक्टर।

इलेक्ट्रॉनिक युक्तियांः– ठोस का बैण्ड सिद्धांत, चालक, कुचालक तथा अर्द्धचालक, नैज तथा अपद्रव्यी अर्धचालक, पी0एन0संधि, जेनर डायोड, एल0ई0डी0, फोटो डायोड, पश्च एवं अग्रअभिनत पी0एन0संधि, सौर सेल, डायोड्स तथा ट्राजिस्टर का दिष्टीकरण, प्रवर्धन तथा दोलन में उपयोग, लॉजिक गेट्स तथा उनकी सत्य तालिका, उनके कुछ उपयोग। संचार माध्यम की मूल धारणाएं।

1. PHYSICS

No of Questions : 200 **MM : 200**

Mechanics:- SI units fundamental and derived units, errors in measurement, dimensions of physical quantities. Uniform and non-uniform motion along a straight line, circular motion. Scalar and vector quantities, unit vector, resolution of a vector in a plane-rectangular components, addition, subtraction and multiplicaton of vectors. Newton's laws of motion; law of conservation of linear momentum and its applications. Moment of inetia, radius of gyration, statement of parallel and perpendicular axes theorems. Work, energy and power; kinetic and potential energy, work-energy theorem, law of conservation of energy. Kepler's laws of planetary motion, universal law of gravitation, escape velocity, Geostationary Satellites. Elastic behavior of matter; Hooke's law, elastic constants, viscosity, Stokes law, Reynold's number, Bernoulli's theorem. Surface energy and surface tension, angle of contact. Proper uses of Vernier Callipers and Screw gauge.

Thermal physics:- Heat and heat transfers; specific heat, latent heat, triple point, conduction, convection and radiation, Newton's law of cooling. Zeroth law, first law and second law of thermodynamics, heat engines and refrigerators. Kinetic theory of gases.

Oscillations and waves:- Simple harmonic motion (S.H.M.), energy in SHM, Kinetic and potential energies, forced and damped oscillations, Doppler effect.

Electricity and Magnetism:- Electric charge, electric dipole, Coulomb's law, electric field, potential and potential difference, Gauss's theorem, Capacitors and Capacitance, combination of capacitors, resistors in series and parallel, Van de Graaff generator, Kirchhoff's law, Wheatstone bridge, Meter bridge, Potentiometer. Magnetic effects of current; Idea of magnetic field, Bio-Savart law, Ampere's law and its application, cyclotron, moving coil galvanometer, Para, Dia and Ferro magnetic substances, electromagnets and permanent magnets. Faraday's law of Electromagnetic induction; induced emf and current, Lenz's law, self and mutual inductance, Alternating currents, LCR Series circuit, resonance, wattless current, displacement Current, transverse nature of electromagnetic waves, electromagnetic spectrum. Conversion of

Galvanometer into ammeter and voltmeter. Frequency of ac mains with a sonometer.

Optics and optical instruments:- laws of reflection and refraction of light, mirror and lens-maker's formula, optical fibres, magnification, power of a lens, dispersion of light through a prism, scattering of light, human eye and eye defects (myopia, hypermetropia, presbyopia and astigmatism), microscope, astronomical telescope, resolving power. Huygens's principle; interference, Young's double slit experiment; diffraction due to a single slit. Polarization, production and detection of polarised light, Brewster's law.

Mordern Physics:- Dual nature of light; photoelectric effect, Einstein's photoelectric equation, de Broglie relation, Bohr's theory of hydrogen atom, Davisson-Germer experiment. Composition and size of nucleus; atomic masses, isotopes, isobars, isotones, radioactivity, alpha, beta and gamma decay, binding energy, mass defect, nuclear fusion, fission and nuclear reactor. Elementry idea of fundamental particals.

Electronic devices:- Band theory of solids, conductors, Insulators and semiconductors. Intrinsic and extrinsic semiconductors. P.N. Junction, Zener diodes, LED, photodiode, reveres and forward biased P.N. Junction, Solar cell. Use of diodes and transistors for rectification, amplification and oscillation. Logic gates and their truth tables, some applications. Elementary idea of communication system.

2. रसायन विज्ञान

प्रश्नों की संख्याः 200 **अधिकतम अंकः 200**

रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, परमाणुओं की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण और तत्वों के गुणों में आवधिक रुझान, रासायनिक बंधन, संकरण, गैस नियम, आदर्श गैस समीकरण, गैसों के गतिज आणविक सिद्धांत, ऊष्मप्रवैगिकी, रासायनिक संतुलन के नियम और संतुलन स्थिरांक, संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक, अम्ल, क्षार और लवण, बफर विलियन, विभिन्न बाध्यकारी बलों के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अनाकार और क्रिस्टलीय ठोस, सोखना, कोलाइडल अवस्था, कोलाइड्स के गुण, संपार्श्विक गुण, वैद्युत रसायन, रासायनिक गतिकी, पृष्ठ रसायन, ब्लॉक तत्व, समन्वय यौगिक, नाम पद्धति, बनाने की विधियां।

हैलोएल्केन, हैलोएरीन, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड और केटोन्स, कार्बोक्जिलिक एसिड, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण, जैव अणु, बहुलक, भोजन और दवा में रसायन, सफाई एजेंट।

आधार भूत प्रयोगशाला विधियाँ; काँच की नली एवं रोड़ को काटना, काँच की नली को मोडना, कार्क में छिद्र करना, रासायनिक पदार्थो को पहचानना एवं शुद्ध करना; कार्बनिक रसायनों के गलनाँक और क्वथनाँक का निर्धारण करना, एलम, कापर सल्फेट, बेजोंइक अम्ल के अशुद्ध नमुनो का क्रिस्टैलाइजेशन।

गुणात्मक विश्लेषण; धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों का निर्धारण, स्टार्च, अडांएल्ब्यूमिन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फैरिक हाइड्रोक्साइड लायोफिटिक और लायोफोबिक सोल को बनाना, सोडियम थायो सल्फेट एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया के वेग पर सान्द्रता और तापमान का प्रभाव, कापर सल्फेट और पोटैशियम नाइट्रेट के विघटन की तापीय धारीता, फूल एवं पत्तियों के रस से पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा रगं द्रव्यों को अलग करना और Rf मान का निर्धारण करना। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिको को बनाना, कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्त, एल्कोहलिक, फीनोलिक, ऐल्डिहाइड़, कीटोनिक, कोर्वोक्सिलिक और एमीनों क्रियात्मक समूह के परीक्षण, शुद्ध नमुनो में कार्बोहाइड्रेट वसा, और प्रोटीन के विशेष परीक्षण एवं खाद्य पदार्थो में उनका पता लगाना, $KMnO_4$ विलयन को ओक्जेलिक अम्ल और फैरस अमोनियम सल्फेट के खिलाफ अनुमापन सान्द्रता और मोलरता का निर्धारण करना, लवणों में धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों का निर्धारण करना।

2. CHEMISTRY

No of Questions : 200 **MM : 200**

Basic concept of chemistry, structure of atoms, classification of elements and periodic trends in properties of elements, chemical bonding, hybridization, gas laws, ideal gas equation, kinetic molecular theory of gases, thermodynamics, laws of chemical equilibrium and equilibrium constant, factors affecting equilibrium, acids, bases and salts, buffer solution, classification of solids based on different binding forces, molecular, ionic, covalent and metallic solids, amorphous and crystalline solids, adsorption, colloidal state, property of colloids, colligative properties, electrochemistry, chemical kinetics, surface chemistry, block elements, coordination compound, nomenclature, methods of preparation.
physical and chemical properties of haloalkanes, haloarenes, alcohols, phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids, nitrogen containing organic compounds, biomolecules, polymers, chemicals in food and medicine, cleansing agents.

Basic Laboratory Techniques; Cutting of glass tube and rod, bending of glass tube, boring of cork, characterization and purification of chemical substances; Determination of melting and boiling points of organic compounds, Crystallization of impure samples of alum, copper sulphate, benzoic acid. Qualitative analysis; Determination of cations and anions, preparation of lyophilic and lyophobic sols of starch, egg albumin, gum aluminum hydroxide, ferric hydroxide. Effect of concentration and temperature on the rate of reaction between sodium thiosulphate and hydrochloric acid. Enthalpy of dissolution of copper sulphate or potassium nitrate. Separation of pigments from extracts of leaves and flowers by paper chromatography and determination of Rf values. Preparation of organic and in organic compounds. Test for unsaturation, alcoholic, phenolic, aldehyde, ketonic, carboxylic and amino functional groups in organic compounds. Characteristic tests of carbohydrates, fats and protein in pure samples and their detection in given food stuffs. Determination of concentration/molarity of $KMnO_4$ solution by titrating it against oxalic acid and ferrous ammonium sulphate. Determination of cation and anion in salts.

3. जन्तु विज्ञान

प्रश्नों की संख्याः 200 **अधिकतम अंकः 200**

- जीव जगत का वर्गीकरण।
- उचित उदाहरणों के साथ परिभाषित करें–
  (i) फाइलम (ii) क्लास (iii) फैमिली (iv) ऑर्डर (v) जीन्स
- वर्गीकरण श्रेणी और वर्गीकरण पदानुक्रम जानवरों में समरूपता।
- कोशिका का आकार एवं आकृति, जैव अणुओं के प्रकार एवं न्यूक्लिक एसिड की आकृति।
- प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर।
- यूकैरियोटिक कोशिकओं के विभिन्न संरचनाओं की आकृति एवं कार्य।
- प्रोटीन की आकृति।
- एन्जाइम की गुणवत्ता।
- प्रोटोजोआ के विभिन्न समूह उदाहरण सहित।
- परजीवी एवं उनके विभिन्न प्रकार–बाहय एवं अन्तः परजीवी।
- पक्षियों में उड़ने की उपयुक्त संरचना।
- मछलियों के वायु ब्लेडर की विभिन्न संरचना एवं कार्यपद्धति।
- जीव ऊतक की संरचना एवं कार्य।
- केंचुआ एवं कॉकरोच की प्रजनन सरंचना।
- नर–मादा मेंढ़क के प्रजनन अंगो में अंतर।
- कोशिका चक्र की विभिन्न स्थितियों में अंतर।
- एकसूत्री एवं द्विसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर।
- एक सूत्री एवं द्विसूत्री कोशिका विभाजन का महत्व।
- अकशेरूकी व कशेरूकी के हृदय में होने वाले जैव प्रकमों का वर्णन।
- मनुष्य में मूत्र उत्सर्जन तन्त्र।
- वृक्क नलिकाओं की आकृति एवं कार्य।
- औस्मोरेगुलेशन।
- कंकाल तंत्र (स्कैलटल) एवं कार्डियल मांसपेशियां की आकृति तथा कार्य।
- पेशीय और कंकाल तंत्रिका तंत्र के विकार।
- मानव तंत्रिका तंत्र– केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बाहय तंत्रिका तंत्र।
- अन्तःस्त्रावी ग्रंथियों से उत्सर्जित हार्मोन–थायराइड, पैराथायराइड, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रथिंया।
- मानव के पाचन तंत्र की ग्रन्थियां, फेफड़ों की सरंचना एवं कार्य, मानव रक्त समूह, उत्सर्जन तंत्र की विकृतियां, तंत्रिका कोशिका की संरचना व कार्य।

- न्यूट्रेन्ट एवं न्यूट्रीशन।
- मनुष्य में पाचनक्रिया और हार्मोन पर नियंत्रण।
- पाचन में विटामिन का कार्य।
- मानव श्वसन तंत्र की कार्य प्रणाली,
- मानव रक्त संचारण तंत्र।
- मनुष्य में रक्त संचारण तंत्र की विकृतियां।
- मानव जनन तंत्र, शुक्राणु एवं अंडो का निर्माण।
- निषेचन।
- प्लेसेंटा का निर्माण एवं कार्य।
- जैव विविधता एवं उपयोगिता।
- जीवों की बीमारियाँ तथा उनका उपचार।
- वैक्सीनेशन एवं इम्यूनाइजेशन।
- इम्यून तंत्र की विकृतियां।
- पशु प्रजनन के प्रकार, सूक्ष्म जीव एवं औद्योगिक उत्पाद, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसका उपयोग, भूमंडल में कार्बन चक्र।
- मानव का उद्‌भव एवं विकास, एड्‌स रोग के कारण।
- प्रदूषण को परिभाषित करें, नष्ट होने वाले और नष्ट न होने वाले प्रदूषण अपशिष्ट।
- वायु प्रदूषण के कारण और नियंत्रण।
- मानव जीवन में ध्वनि प्रदूषण और उसके प्रभाव।
- विश्वव्यापी उष्णता और उसके प्रभाव।

3. ZOOLOGY

No of Questions : 200 **MM : 200**

- Classification of living organisms.
- Define the following with suitable examples.
  Phylum (ii) class (iii) Family (iv) Order (v) Genus
- Taxonomic category and taxonomic hierarchy, symmetry in animals.
- Cell shape and size, Type of biomolecules, structure and function of nucleic acid,
- Difference between prokaryotic and eukaryotic cells.
- Structure and function of different organelles of eukaryotic cell.
- Structure of proteins.
- Importance of enzymes properties.
- Major groups of protozoa with example.
- Parasites and their different types including ecto and endoparasites.
- Flying modifications in birds.
- Types of air bladders and their functions in fishes.
- Explain the structure of animal tissue with their functions.
- Describe the reproductive system of earthworm and cockroach.
- Basic difference between male and female reproductive system of frog.
- Different phases of cell cycle.
- Differentiate between mitosis and meiosis.
- Significance of mitosis and meiosis cell division.
- Describe the evolutionary changes in the pattern of heart in invertebrates and vertebrates.
- Excretory system in human – urine formation.
- Structure and functions of tubules.
- Osmoregulation.
- Structure and functions of skeletal and cardiac muscles.

- Disorders of muscular and skeletal system.
- Human neural system-central neural system (CNS) and Peripheral neural system (PNS).
- Endocrine glands and their hormones – Structure and functions of thyroid, parathyroid, pancreas and adrenal glands.
- Human digestive system glands, structure and function of lungs, Human blood groups, disorders of excretory system, Structure and function of a neuron.
- Define nutrients and nutrition.
- Digestion system of humans, hormones and their control in digestion.
- Vitamins and their role in nutrition.
- Human respiratory system and its mechanism.
- Blood Vascular system in humans.
- Disorders related to the circulatory system in human.
- Human reproductive system, formation of gametes spermatogenesis, oogenesis.
- Fertilization.
- Placenta formation and its functions.
- Biodiversity and its importance.
- Animal diseases and their control.
- Vaccination and immunization.
- Immune system disorders.
- Type of animal breeding, microbes and industrial products, Biotechnology and its uses, Carbon cycle in biosphere.
- Origin and evolution of man, Causes of AIDS.
- Define pollution, compare biodegradable and non-biodegradable pollutants.
- Air pollution causes and control.
- Noise pollution and its effects on humans health.
- Discuss the causes effects of global warming.

4. वनस्पति विज्ञान

प्रश्नों की संख्याः 200 **अधिकतम अंकः 200**

1. **जैविक वर्गीकरण :** पाँच जगत वर्गीकरण, पादप जगतः वर्गीकरण और विशेषताएँ। **आकारिकी** : जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, फूल, फल, बीज और फूल वाले पौधों का अर्ध–तकनीकी विवरण। **शरीर रचनाः** ऊतक, ऊतक प्रणाली, एकबीजपत्री, द्विबीजपत्री और फूलों के पौधों की द्वितीयक वृद्धि और प्रजनन।

2. **कोशिका :** संरचना, कोशिका सिद्धांत, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं। **जैव अणु** : प्राथमिक और द्वितीयक मेटाबोलाइट्स, एंजाइम, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड। **कोशिका चक्र** : एम–चरण, सूत्रीविभाजन और अर्धसूत्रीविभाजन कोशिका विभाजन। **पौधों की वृद्धि और विकासः** वृद्धि के चरण, वृद्धि के लिए परिस्थितियाँ, पौधों में विकासात्मक प्रक्रिया, पौधों के विकास नियामक, दीप्तिकालिता और वैश्वीकरण।

3. **कार्यिकी** : पौधों में खनिज पोषण का ग्रहण और परिवहन, परिवहन के साधन, पौधों के जल संबंध, वाष्पोत्सर्जन, फ्लोएम परिवहन, खनिज आयनों का ग्रहण, आवश्यक खनिज तत्व, तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि, विलेय का स्थानांतरण, जलाशय के रूप में मिट्टी आवश्यक तत्व, चयापचय नाइट्रोजन, प्रकाश प्रतिक्रिया, इलेक्ट्रॉन परिवहन, चक्रीय और गैर चक्रीय फोटो–फास्फोरिलीकरण, फोटो श्वसन।

4. **प्रकाश संश्लेषण और श्वसनः** प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश संश्लेषण में शामिल वर्णक। श्वसनः ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन, श्वसन बैलेंस शीट, उभयचर पाथवे और पौधों में एरोबिक श्वसन।

5. **पारिस्थितिकी :** जीव, पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिक अनुकूलन, जनसंख्या–जैविक समुदाय, पारिस्थितिकी अनुक्रम। पारिस्थितिकी तंत्रः संरचना और कार्य। **जैव विविधताः** जैव विविधता का स्तर, उपयोग, खतरे, संरक्षण और हॉट–स्पॉट, भारत में जैव विविधता संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। **वैश्विक जलवायु परिवर्तनः** जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास।

6. **प्लांट टिशू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी** : आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें और भोजन, टिकाऊ कृषि, बायोपेटेंट, बायोपाइरेसी, जैव युद्ध और बायोएथिक्स।

7. **प्राकृतिक संसाधन :** वर्गीकरण, मिट्टी, जल, भूमि, ऊर्जा, समुद्री और खनिज संसाधन, वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमि, पर्यावरणीय नैतिकता और संसाधन उपयोग।

4. BOTANY

No of Questions : 200 **MM : 200**

1. **Biological classification:** Five kingdom classification. Plant kingdom: Classification and characteristics. Morphology: Root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit, seed and semi-technical description of flowering plants. Anatomy: Tissues, tissue system, monocotyledonous, dicotyledonous, secondary growth and reproduction of flowering plants.

2. **Cell:** Structure, cell theory, prokaryotic and eukaryotic cells. Biomolecules: Primary and secondary metabolites, enzymes, proteins, nucleic acids and polysaccharides. Cell cycle: M-phase, mitosis and meiosis cell division. Plant growth and development: Phases of growth, conditions for growth, developmental process in plants, Plant growth regulators, photoperiodism and vernalisation

3. **Physiology**: Uptake and Transport of mineral nutrition in Plants: Means of transport, plant water relations, transpiration, phloem transport, uptake of mineral ions, essential mineral elements, mechanism of absorption of elements, translocation of solutes, soil as reservoir essential elements, metabolism of nitrogen, light reaction, dark reaction, electron transport, cyclic and non cyclic photo-phosphorylation, photorespiration.

4. **Photosynthesis and Respiration**: Factor affecting photosynthesis, pigments involved in Photosynthesis. Respiration: Glycolysis, fermentation, respiratory balance sheet, amphibiotic pathway and aerobic respiration in Plants.

5. **Ecology:** Organisms, Environmental factors, ecological adaptations, population-Biotic community, Ecological-succession. Ecosystem: Structure and Function. Biodiversity: Biodiversity Levels, uses, threats, conservations and hot spots, Conservation in India and international efforts for conserving biodiversity. Global environmental climate change: International initiative for mitigating Global climate change.

6. **Plant tissue culture and Biotechnology:** Genetically modified crops and food, Sustainable Agriculture, Biopatent, Biopiracy, Biowar and Bioethics.

7. **Natural resources:** Classification, soil, water, land, energy, marine and mineral resources, Forests, grasslands, wetlands, Environmental ethics and Resource use.

5. भूगोल

प्रश्नों की संख्याः 200 **अधिकतम अंकः 200**

सिद्धांत

भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत

- पृथ्वी की उत्पत्ति एवं इसकी संरचना
- स्थलरूप : पर्वत, पठार और मैदान
- भूकंप और ज्वालामुखी
- चट्टानें और खनिज
- जलवायु के प्रकार, वायुमंडलीय दबाव बेल्ट और पवन परिसंचरण, चक्रवात

  और प्रति–चक्रवात, वायुमंडल की संरचना और संघटन।
- वन और उनके प्रकार

मानव भूगोल के मूल सिद्धांत

- विश्व वितरण और जनसंख्या की वृद्धि
- भारतः आयु और लिंग अनुपात, ग्रामीण–शहरी जनसंख्या संरचना, व्यावसायिक

  संरचना और साक्षरता दर, भारत में जनसंख्या समस्याएं।

भारत में मानव बस्तियाँ

- ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों का वितरण
- ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं पैटर्न
- ग्रामीण बस्तियों की समस्याएँ
- कस्बे और उनका वर्गीकरण
- पर्यावरण प्रदूषण।

प्रायोगिक

- मापक और उनके प्रकार
- मानचित्रों का वर्गीकरण
- मानचित्र बनाने की तकनीकेंः कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, बिंदु और आरेख
- सर्वेक्षणः प्लेन–टेबल सर्वेक्षण, श्रृंखला और टेप सर्वेक्षण, डम्पी स्तर सर्वेक्षण,
- मौसम मानचित्र और टोपो शीट पढ़ना
- थर्मामीटर, गीले और सूखे बल्ब थर्मामीटर, बैरोमीटर, पवन वैन, वर्षा गेज का

  अनुप्रयोग और उपयोग।

5. GEOGRAPHY

No of Questions : 200 **MM : 200**

Theory

A. Fundamentals of Physical Geography

- Origin of the earth and its structure
- Landforms : mountain, plateau and plain
- Earthquakes and volcanoes
- Rocks and minerals
- climate types, Atmospheric pressure belts and wind circulation, cyclones and anti- cyclones, Structure and composition of the atmosphere.
- Forests and their types

B. Fundamentals of Human Geography

- World distribution and Growth of Population
- India: Age and sex ratio, rural-urban population composition, Occupational structure and literacy rate, population problems in India.

C. Human settlements in India

- Distribution of Rural and urban settlements
- Types and patterns of rural settlements
- problems of rural settlements
- Towns and their classification
- Environmental pollution.

PRACTICAL

- Scales and their types
- Classification of maps
- Techniques of drawing maps: choropleth, Isopleths, dots and diagrams
- Surveying: plane-table survey, chain and tape survey, Dumpy level survey,
- Reading of weather maps and topo sheets
- Application/use of thermometer, Wet and dry bulb Thermometer, Barometer, wind van, rain gauge.

6. गृह विज्ञान

प्रश्नों की संख्याः 200 **अधिकतम अंकः 200**

गृह विज्ञान की अवधारणा और अध्ययन क्षेत्र। शैशवावस्था में विकास की विशेषताएँ–शारीरिक एवं मोटर विकास, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास तथा बौद्धिक एवं भाषा का विकास। निवारण लायक रोगों से बचाव के तरीके, विभिन्न आयु के बालकों का टीकाकरण। वंचित और विकलांग बच्चों की विशेषताएँ एवं आवश्यकताएँ। किशोरावस्था की विशेषताएँ, आवश्यकताएँ और समस्याएँ। जनसंख्या शिक्षा। बुजर्गों एवं बच्चों की वैकल्पिक देखभाल। एकीकृत बाल विकास योजना (आई0सी0डी0एस0) के लक्ष्य एवं कार्य।

आहार–कार्य एवं वर्गीकरण। मूल भूत आहार समूह। विभिन्न अवस्थाओं एवं कार्यों के अनुसार संतुलित आहार। आहार तथा स्वास्थ्य का संबध। पोषण का अर्थ, प्रकार तथा स्वास्थ्य के लिए महत्व, पाक–क्रिया की विधियाँ और पोषक तत्व; आहार–परीरक्षण। आहार नियोजन–महत्व, सिद्धांत एवं कारक। आहारीय स्वच्छता। भोज्य पदार्थों में मिलावट एवं परीक्षण।

पारिवारिक संसाधनों के प्रकार और प्रबंधन। उपभोक्ता संरक्षण और शिक्षा–अर्थ, उपभोक्ता की समस्याएं, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट तथा सेवाएं, उपभोक्ता सहायता। निर्णय लेने की प्रक्रिया। समय तथा ऊर्जा का प्रंबध। घर की साज–सज्जा। कला के तत्व एवं सिद्धांत।

तन्तु–अर्थ एवं प्रकार। प्राकृतिक तंतु– सूती, रेशमी तथा ऊनी, तंतुओं की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताएं। मानव निर्मित तथा मिश्रित तंतुओं का निर्माण एवं भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताएं। कताई के प्रकार, धागा/सूत के प्रकार। वस्त्र निर्माण की विधियाँ। सरल और जटिल बुनाई, कपड़े की फिनिशिंग वस्त्रों की परिसज्जा। रगांई और छपाई। कपड़े, वस्त्रों और पोशाकों के चयन और खरीद को प्रभावित करने वाले कारक, वस्त्रों की देखभाल और रख–रखाव। विभिन्न आयु समुहों (शिशु से वरिष्ठ नागरिक) हेतु वस्त्र आवश्यकताएं। परिधान डिजाइनिंग में कला के तत्वों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग। दाग–धब्बे छुड़ाना। सिलाई के टाँके और सीवन। पोशाक में परिपूर्णता लाने की विधियाँ। वस्त्रों की मरम्मत। बच्चों तथा महिलाओं हेतु वस्त्र बनाना (नमूना बनाना, कटाई व सिलाई)।

6. HOME SCIENCE

No of Questions : 200 **MM : 200**

Concept & scope of Home Science; characteristics of developments at infancy stage- physical and motor development, social and emotional development, cognitive and language development. Protection from preventable diseases - vaccination of children's of different ages; Needs and characteristics of disadvantaged and disabled children; characteristics, needs and problems of adolescence; population-education. Substitute care of aged and small children. Integrated child development scheme (ICDS) – objectives and functions

Functions and classification of foods; basic food groups; balanced diet for different stages of life and types of work. Food and health relation. meaning and types of nutrition; nutrients- types, importance for health, cooking methods; food preservation; meal planning- importance, principles and factors affecting; food- hygiene; food adulteration and testing.

Family resources-types and management; decision making process. Time and energy management. Awareness and protection of consumer welfare; interior decoration. Elements and principles of art.

Fiber-definition, types. Natural fibers-cotton, silk and wool their physical, chemical and biological properties, man made and synthetic fibers-physical, chemical and biological properties and manufacturing process. spinning types; types of yarn; steps of yarn construction; fabric construction techniques. fabrics finishes; dyeing and printing; factors affecting selection and purchase of fabrics, clothes and garments- their care and storage; clothing requirement for different age groups (infancy to aged person). application of principles and elements of art in garment designing. stain removal; stitches and seams; methods of adding fullness in the garments; repairing of clothes; garments construction for childrens and ladies (drafting, cutting and stitching).

7. मनोविज्ञान

प्रश्नों की संख्याः 200 **अधिकतम अंकः 200**

1. **मनोविज्ञान की प्रकृति एवम् अवधारणा**– मनोविज्ञान विषय का विकास।

2. **मनोविज्ञान की विधियाँ**– अवलोकन, प्रयोगात्मक विधि, सहसंबन्ध अध्ययन, साक्षात्कार, वृत्त अध्ययन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण : व्यक्तिपरक, वस्तुपरक एवम् प्रक्षेपीय परीक्षण, तथ्यों का आलेखीय निरुपण, नैतिक मुद्दे।

3. संवेदी, अवधानात्मक एवं प्रत्यक्षात्मक प्रक्रियाएं।

4. **अधिगम**– क्लासिकल एवम् ओपरेन्ट कंडीशनिंग, प्रेक्षाणात्मक अधिगम।

5. **स्मृति**– अल्प–कालीन स्मृति, दीर्घ –कालीन स्मृति।

6. **प्रेरणा एवम् संवेग**– प्रकार एवम् सैद्धांतिक दृष्टिकोण।

7. **बुद्धि एवम् अभिक्षमता**– सिद्धांत एवम् परीक्षण, संवेगात्मक बुद्धि।

8. **व्यक्तित्व**– सिद्धांत एवम् मापन।

9. **सामाजिक संज्ञान**– आरोपण, समाजानुकूल व्यवहार, पूर्वाग्रह, सामाजिक अस्मिता।

10. **मानसिक स्वास्थ्य**– जीवन शैली एवम् व्यक्तिपरक भलाई। प्रबलन, दुश्चिन्ता एवं अवसाद।

11. **प्रायोगिक अध्ययन**– निम्नलिखित क्षेत्रों में विभिन्न मनोवैज्ञानिक उपकरणों एवम् मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के साथ परिचित होना–

    1. अधिगम, स्मृति, प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण।
    2. बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, आत्मधारणा।
    3. दुश्चिन्ता एवं अवसाद।
    4. आरोपण, समाजानुकूल व्यवहार, पूर्वाग्रह, सामाजिक अस्मिता पर आधारित फील्ड एक्सपेरिमेन्ट।

7. PSYCHOLOGY

No of Questions: 200 **MM: 200**

1. **Nature & concept of Psychology** - Evolution of discipline of Psychology.
2. **Methods of Psychology** - Observation, Experimental Method, correlational Study, Interview, Case study, Psychological testing - Subjective, Objective and Projective tests, Graphical presentation of Data, Ethical issues.
3. **Sensory, Attentional and Pereeptual Processes**
4. **Learning** - Classical and operant conditioning, Observational Learning.
5. **Memory** - Short-term memory, Long-term memory.
6. **Motivation & Emotion** - Types and theoretical perspectives.
7. **Intelligence & Aptitude** - Theories & Assessment, Emotional Intelligence.
8. **Personality** - Theories & Measurement.
9. **Social Cognition** - Attribution, Pro social behaviour, prejudice, social identity.
10. **Mental Health** - Life Style & Subjective well-being, Stress, Anxiety and depression.
11. **Practical Study** - Familiarization with different Psychological apparatuses and Psychological tests in following areas.

    1- Learning, memory, motivation, perception,

    2- Intelligence, personality, aptitude, attitude, Self concept.

    3- Anxiety and Depression.

    4- Field Experiments on Attribution, Pro social behaviour, prejudice, social identity.

8. मानव विज्ञान

प्रश्नों की संख्याः 200 **अधिकतम अंकः 200**

मानव विज्ञान का परिचय : परिभाषा, मानव विज्ञान की शाखाएं, मानव विज्ञान का विस्तार एवं इतिहास, इसका अन्य विषयों से संबंध, मानव वैज्ञानिक अध्ययन के विषयगत् दृष्टिकोण, मानव विज्ञान के अनुप्रयोग।

भौतिक (शारीरिक मानव विज्ञान) : परिभाषा, विस्तार, भौतिक मानव विज्ञान की शाखाएं, मानव विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। जैविक उद्विकास के सिद्धांत एवं प्रमाण। उद्विकास में लैमार्क, डार्विन, बाइसमैन, मेंडल तथा डी.व्रीज का योगदान। नवलेमार्कवाद एवं नवडार्विनवाद। सीनोजोइक प्राइमेट्स के विशेष संदर्भ में समयानुसार जीवन उत्तरवर्तन। प्राइमेट्स के लक्षण; प्राइमेट्स के प्रमुख उद्विकासीय रूझान, प्राइमेट्स वर्गिकी। मानव तथा कपियों की तुलनात्मक शरीर रचना; ऊर्ध्व संस्थिति के परिणामस्वरूप कंकालीय परिवर्तन।

जीवाश्म एवं जीवाश्मीकरण। कालनिर्धारण प्रविधियाँ : सापेक्षीय (स्तरिकी, फ्लोरीन/आर्गन कालनिर्धारण) एवं निरपेक्षीय (वृक्षवलय कालक्रम, कार्बन 14 प्रविधि, पोटेशियम/आर्गन प्रविधि, भूचुम्बकीय कालनिर्धारण)। शिवापिथिकस, जाइगेंटोपिथिकस, आर्डीपिथिकस, आस्ट्रेलोपिथिकस, होमोइरेक्टस तथा होमो नियांडरथल के लक्षण एवं भौगोलिक विस्तार। शिवालिक्स वर्गीकरण, भौगोलिक विस्तार, काल एवं मानववैज्ञानिक महत्व।

मानवमिति (शरीरमिति, कार्यविक्षिकी एवं अस्थिमिति) : निश्चित बिन्दु, उपकरण एवं माप। मानव कंकाल। जैव क्षमता, बॉडी फैट, रक्तचाप एवं रक्त समूह (ए.बी.ओ.) की प्रविधियाँ। शारीरिक वृद्धिः अध्ययन की अवधारणा, मूलभूत सिद्धान्त, चरण एवं प्रविधि (क्रास सेक्शनल, लांगीटूडिनल और मिश्रित लांगीटूडिनल)। मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि वक्र (दूरी, वेग)

मानव आनुवंशिकी : अवधारणा एवं प्रविधियां (जुडवा अध्ययन, कोशिका आनुवांशिकी प्रविधि, गुणसूत्रीय एवं कैरोटाइप विश्लेषण), डी0एन0ए0 एवं पुनरावर्ती प्रौद्योगिकी। मेंडलीय आनुवांशिकी (मानव में एक कारक, बहुकारक एवं बहुजीनी वंशागति)। हार्डी–वाइनबर्ग नियम, उत्परिवर्तन, चयन अंतः प्रजनन एवं आनुवांशिक बहाव। मानव में गुणसूत्रीय विकार। प्रजातिगत आधार : आनुवांशिक मार्कर, एबीओ, आर0एच0 रक्त समूह, एच0एल0ए0, एच0पी0 एवं ट्रांसफेरिन।

पुरातात्विक मानव विज्ञान : उद्देश्य, विस्तार, प्रमुख शाखाएं, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का अन्य जैवविज्ञानिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध। प्रागैतिहासिक पुरातत्व के सिद्धांत; पुरातत्व स्थल। अत्यंतनूतन हिमाच्छादनः साक्ष्य एवं कारण।

प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की व्यापक रुपरेखा; पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, चाल्कोलिथिक, तामृ–लौह युग तथा लौह युग। सिंधु सभ्यताः काल, भौगोलिक विस्तार, लक्षण।

सामाजिक (सांस्कृतिक मानव विज्ञान) : परिभाषा, शाखाएं, समरूपी सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध, उभरते क्षेत्र (चिकित्सा मानव विज्ञान, पारिस्थितिक मानव विज्ञान, शहरी मानव विज्ञान, विकास मानव विज्ञान एवं सामाजिक–सांस्कृतिक मानव विज्ञान के उपयोग)।

सामाजिक (सांस्कृतिक) मानवविज्ञान की मूल अवधारणायें : संस्कृति (परिभाषा), समाज, समूह एवं संस्थाएं; लोकरीतियाँ, प्रस्थिति एवं भूमिका, जनजाति, जाति, प्रतिबंध। संस्कृति की मानववैज्ञानिक अवधारणा : सीखी हुई एवं इतिहास निरूपित; संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, विषमता, सापेक्षता, व्यवहारपरक अर्विभाव, गत्यात्मक परिवर्तनीय, भाषा संस्कृति के वाहक के रूप में, सभ्यता, लोकाचार एवं प्रज्ञप्ति। संस्कृति को समझने में ई0बी0 टाइलर, ए0एल0 क्रोबर एवं बी0 मेलिनोवस्की का योगदान। संस्कृति संपर्क एवं सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन। आविष्कार, नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति परिवर्तन। एकीकरण एवं समावेश की अवधारणा। संस्कृति एवं व्यक्तित्व।

उद्विकासवाद, नवउद्विकासवाद, विसरणवाद, संरचना–प्रकार्यवाद जैसे शास्त्रीय सिद्धान्त।

परिवार, विवाह, नातेदारी के मूल तत्व। क्षेत्रीय कार्यः सहभागी एवं गैर–सहभागी अवलोकन, प्रश्नावली एवं अनुसूची, साक्षात्कार एवं केन्द्रीय समूह; प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कार। वंशावली पद्धति। वैयक्तिक अध्ययन एवं विस्तारित वैयक्तिक अध्ययन प्रविधि।

8. ANTHROPOLOGY

No of Questions : 200 **MM : 200**

Introduction to Anthropology: Definition, Branches of Anthropology, History and scope of Anthropology, its relationship with other disciplines, thematic approaches in Anthropological Studies, Applications of Anthropology.

Physical (Biological Anthropology): Definition, scope, subdisciplines of Physical Anthropology, relationship with other branches of Anthropology. Evidences and theories of organic evolution. Contributions of Lamarck, Darwin, Weismann, Mendel and De Vries to evolution. Neo-Lamarckism, Neo-Darwinism. Succession of life through ages with particular reference to Cenozoic primates. Characteristics of Primates; Major evolutionary trends in primates, Primate Taxonomy. Comparative Anatomy of humans and apes; skeletal changes due to erect posture and its implications.

Fossils and fossilization. Dating Methods: Relative (stratigraphy, fluorine dating) and Absolute (Dendrochronology, C^{14} method, Potassium/Argon method, Geomagnetic dating). Characteristics and geographical distribution of *Sivapithecus, Gigantopithecus, Ardipithecus, Australopithecus, Homo erectus,* and *Homo neanderthalensis*. Siwaliks: Classification, geographic distribution, age and anthropological significance.

Anthropometry (somatometry, somatoscopy and osteometry): landmarks, instruments and measurements. Human skeleton. Techniques of vital capacity, body fat, blood pressure and blood grouping (ABO).

Human Growth: Concept, basic principles, stages and methods (cross-sectional, longitudinal and mixed longitudinal) of studying human growth and factors affecting human growth. Growth curves (velocity and distance).

Human Genetics: Concept and methods (twin study, cytogenetic method, chromosomal and karyo-type analysis), DNA and recombinant technologies. Mendelian genetics (single factor, multifactor, and polygenic inheritance in man). Hardy-Weinberg law; mutations, selection, inbreeding and genetic drift. Chromosomal aberrations in man. Racial criteria. **Genetic markers:** ABO, Rh blood groups, HLA, Hp, and transferrins.

Archaeological Anthropology: Aim, scope, major branches and relationship of prehistoric archaeology with other social, biological and natural sciences.

Principles of Prehistoric Archaeology; archaeological sites. Pleistocene Glaciations: evidences and causes.

Broad Outlines of Prehistoric cultures: Paleolithic, Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic, Copper-Bronze Age and Iron Age. Indus Civilization: age, geographics, distribution, characteristic features.

Social (Cultural Anthropology): Definition, branches, relationship with allied social sciences, emerging fields (Medical Anthropology; Ecological Anthropology; Urban Anthropology, Development Anthropology), and applications of social (Cultural) Anthropology.

Basic concepts of social (cultural) Anthropology: Culture (definition), Society, Groups and Institutions, Folkways, Status and Role, Tribe, Community, Caste, Sanctions. Anthropological concept of culture: Learned and historically derived; Culture Trait, Culture Complex, Plurality, Relativity, Behaviourally manifested, Dynamic changing, Language as vehicle of culture, civilization, Ethos and Eidos. Contributions of E.B. Tylor, A.L. Kroeber, B. Malinowski to the understanding of Culture. Culture Contact and Socio-cultural Change, Invention, Innovation Technology and Culture Change, concepts of Integration, assimilation and acculturation. Culture and Personality.

Classical Theories of Evolutionism, Neo-Evolutionism, Diffusionism, Structural-functionalism.

Fundamentals of Family, Kinship, Marriage. Field work: Participant and non-participant observation; Questionnaire and Schedule; Interviewing and focus group; Key informant method; Genealogical method; Case study and extended case study method.

9. बी0एस0सी0 गृह विज्ञान

प्रश्नों की संख्याः 200 **अधिकतम अंकः 200**

इकाईः–1

स्वास्थ्य और मानव कल्याण के लिए पोषण। अनुशंसित आहार भत्ते, संतुलित आहार, आहार पूरकता और आधारिक चयापचय दर की परिभाषा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का पाचन, अवशोषण, शोधन, गुणवत्ता, मानदंड और मानक। भोजन की स्वच्छता। पोषण की आवश्यकताओं का निर्धारण। खाद्य समूह। खाद्य मार्गदर्श का पिरामिड (शुंडाकार स्तम्भ)। अनाज, मोटे अनाज (मिलट्स), दालें, मेवे और तिलहन का पोषक मूल्य, प्रसंस्करण, खाना पकाने के तरीके। दूध और दुग्ध उत्पाद। अण्डे और मांस के खाद्य पदार्थ। सब्जियां और फल। मसाले और जड़ी–बूटियां। पेय पदार्थ और भूख बढ़ाने वाले पेय पदार्थ। खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ। जमे हुए खाद्य पदार्थ, निर्जलित भोजन। तत्काल भोज्य मिश्रण। नैदानिक पोषण। कुपोषण। भारत में प्रचलित पोषण सम्बन्धी प्रमुख समस्याएं। पोषण की शिक्षा। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम। खाद्य सुरक्षा।

इकाईः–2

तन्तुओं का वर्गीकरण। सूत और पेड़ की छाल (बास्ट तंतू) ऊन और रेशम से बने तन्तुओं का उत्पादन, भौतिकगुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण और उनका उपयोग। मानव निर्मित और कृत्रिम धागों का निर्माण तथा भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण तथा उपयोग। कताई के प्रकार। धागे का वर्गीकरण। कपड़े के निर्माण के तरीके। करघेपर की जाने वाली मूलभूत बुनाई और जटिल बुनाई। निटिंग के टांके। 'फेल्ट' कपड़े का निर्माण, 'मैक्रेम' और क्रोशिया से कपड़े का निर्माण। दाग–धब्बे हटाना।कपड़े धोना, कपड़े धोने के एजेंट।कपड़ों की देखभाल और भण्डारण। रेशों का सूक्ष्म दर्शीय, दहन और विलेयता का परीक्षण। कपड़े का बुनियादी, सतही और कार्यात्मक परिष्करण। रंगाई–वर्गीकरण, अनुप्रयोग, रंगाई तकनीक। छपाई की शैली और तरीके। वस्त्र चयन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण। विभिन्न आयु समूहों (शिशु से वरिष्ठ नागरिक) हेतु वस्त्रों की आवश्यकताएं। परिधान डिजाइनिंग में कला के तत्वों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग। टांके और सीवन। वस्त्रों की मरम्मत। वस्त्रों के विभिन्न नमूनों पर पेपर पेटर्न का अभिन्यास। शिशु, बच्चे और महिलाओं के लिए वस्त्रों के नमूने बनाना, कटाई और सिलाई। भारत की विभिन्न प्रांतो की परंपरागत कढ़ाई और बुने (वोवन) वस्त्र।

इकाईः–3

मानव और गैर मानव संसाधनों का प्रबंधन। आंतरिक साजसज्जा। एर्गोनामिक्स और आवास। उपभोक्ता–समस्याएं, अधिकार और उत्तरदायित्व। मानवविकास के सिद्धांत। जन्म के पूर्व से वृद्धावस्था तक जुडे विकास के मुददे और लक्षण। विवाह के प्रकार। विवाह, गोद लेने, तलाक के संबंध में भारतीय कानून और अधिनियम। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और उनकी शिक्षा।

9. B.SC. HOME SIENCE

No of Questions : 200 **MM : 200**

Unit 1. – Nutrition for health and human welfare; definition of terms; Recommended dietary allowances, balanced diet, dietary supplements, BMR; digestion, absorption, types, functions, sources and requirements of carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals; water: sources, types, pollution, purification, quality criteria and standards; food hygiene; determination of nutritional requirements; food groups, food guide pyramid; nutritive values, processing, cooking methods. cereals, millets, pulses, nuts and oil-seeds; milk and milk products; eggs and flesh foods; vegetables and fruits; spices and herbs; beverages and appetizers; frozen foods; dehydrated foods; instant food mixes; clinical nutrition; malnutrition; major nutritional problems prevalent in India; nutrition education; Prevention of Food Adulteration Act; food safety and food packaging.

Unit 2. – Classification of textile fibres; production, physical, chemical and biological properties and end uses of cotton, bast fibres, wool and silk; manufacturing, physical, chemical and biological properties and end uses of man–made and synthetic fibers; spinning types; classification of yarn; methods of fabric construction; basic and complex weaves; knitting stitches; manufacturing process of felt, macrame and crochet; stain removal; laundry and laundry agents; care and storage of clothes; microscopic, burning and solubility tests for textile fibres; textile finishes; basic finishes, surface finishes, functional finishes; dyes, application of dyes, dyeing techniques; printing styles and methods; socio-economic and psychological factors affecting clothing choices; consumer behavior, clothing requirements of different age groups (infant to senior citizen); application of elements and principles of art in apparel designing; seams and seams finishes; mending; layout of paper pattern on different fabric patterns; designing; cutting and stitching of garments for infant, toddler and women; traditional Indian woven textiles and embroideries of different states of India.

Unit 3. – Management of resources – human and nonhuman; interior decoration; ergonomics and housing; consumer problems; consumer rights and responsibilities; theories of human development; issues & characteristics associated with different stages of life; types of marriage in India; Indian laws and acts regarding marriage, adoption and divorce; counselling; special needs children and their education.

10. शिक्षा शास्त्र

प्रश्नों की संख्याः 200 **अधिकतम अंकः 200**

शिक्षा; अर्थ, सामान्य उद्देश्य, एवं प्रकार, स्वतंत्रता उपरान्त शिक्षा के क्षेत्र में गठित आयोग की अवधि एवं अध्ययन विषय (राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग) शिक्षा की प्रमुख दार्शनिक प्रणालियों से अभिप्राय (आदर्शवाद, प्रकतिवाद, प्रयोजनवाद) महात्मा गाँधी की बेसिक शिक्षा के मूल सिद्धांत, विवेकानन्द की मानव निर्माण की शिक्षा, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार के अन्तर्गत आर्थिक विकास के साधन के रूप में शिक्षा सामाजिक परिर्वतन के कारक के रूप में शिक्षा, मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा (अवधारणा, वर्गीकरण एवं महत्व), शिक्षा के अभिकारणों का अर्थ एवं प्रकार (औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक), शिक्षा की संरचना (नई शिक्षा नीति 1986–10+2+3 प्रणाली एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020– 5+3+3+4 प्रणाली) का अभिप्राय, प्रमुख भारतीय शिक्षा शास्त्रियों का शिक्षा में योगदान (महात्मा गाँधी, विवेकानन्द, रविन्द्रनाथ टैगोर)

शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ (निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि), शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता (सामान्य बालक के लिये, विशिष्ट बालक के लिए), वृद्धि एवं विकास–(अभिप्राय, अंतर), वैयक्तिक विभिन्नता– (अर्थ एवं क्षेत्र), बुद्धि, (अर्थ एवं मापन), सृजनात्मकता– (अर्थ, सृजनशीलता को मापने हेतु परीक्षण), व्यक्तित्व– (अर्थ, प्रकार एवं निर्धारक तत्व), अधिगम– (अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक), अधिगम के नियम, अधिगम के सिद्धांत–(प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सिद्धांत), विशिष्ट बालक – (अवधारणा एवं उसके प्रकार)।

शैक्षिक तकनीकी का अर्थ एवं उपयोगिता, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण (ज्ञानात्मक,भावात्मक, क्रियात्मक), सूक्ष्म शिक्षण – (अर्थ एवं उपयोगिता), प्रमुख शिक्षण कौशल (प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन, उद्दीपन परिवर्तन, व्याख्या), प्रश्नों के प्रकार – (निबंधत्मक प्रश्न – अर्थ, प्रकार, गुण, दोष तथा वस्तुनिष्ट प्रश्न – अर्थ, प्रकार, गुण, दोष), अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं, शिक्षण सहायक सामग्री – (अर्थ तथा उपयोगिता, प्रकार), शिक्षण की प्रमुख विधियों के अर्थ, गुण एवं दोष : शिक्षक केद्रित (व्याख्यात्मक विधि), छात्र केन्द्रीय (समस्या समाधान विधि), समूह केन्द्रीय (प्रयोजना विधि), केन्द्रीय प्रवृति के माप (मध्यमान, माध्यिक, बहुलक), आँकडों का लेखा चित्रीय प्रदर्शन, अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं।

सक्रिय प्रधानाध्यापक की विशेषताएं, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व; एक अच्छे अध्यापक की विशेषताएं , कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व; समय सारणी की उपयोगिता एवं निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य सावधानियाँ; अनुशासन की आवश्यकता एवं प्रकार (बाहय अनुशासन, आंतरिक अनुशासन), पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ एवं उपयोगिता, पुस्तकालय का महत्व, शिक्षक – अभिभावक संघ का अर्थ एवं उपयोगिता, शैक्षिक भ्रमण की उपयोगिता; टूर्नामेंट एवं मैचों का आयोजन (प्रकार एवं सावधानियाँ), विद्यालय में विज्ञान क्लब की सार्थकता।

10. Education

No of Questions : 200 **MM : 200**

Education; Meaning, general objectives and types, Period and study subjects of the commissions formed in the field of education after independence (Radha Krishnan Commission, Mudaliar Commission, Kothari Commission). Meaning of major philosophical schools of education (Idealism, Naturalism, Pragmatism) Education as a means of economic development, education as a factor of social change, human resource development and education: (concept, classification and importance), Meaning and sources of education (Formal, Informal, non formal). Structure of education (New Education Policy 1986-10+2+3 System and National Education Policy 2020- 5+3+3+4 system), contribution of major Indian educationists in education (Mahatma Gandhi, Vivekananda, Rabindranath Tagore)

Meaning and definition of education psychology, methods of education psychology (observational method, experimental method), utility of education psychology (for normal child, for special child), growth and development- (meaning, difference), individual difference- (meaning), Intelligence (Meaning and Measurement), Creativity-(Meaning, Tests to measure creativity), Personality- (meaning, types and determinants), learning- (meaning, influencing factors), laws of learning, theories of learning- (trial and error theory, stimulus and response theory), special child - (concept and Types).

Meaning and importance of educational technology, Bloom's classification of educational objectives (cognitive, affective and psychomotor), micro-teaching - (meaning and importance), major teaching skills (questioning, demonstration, stimulus-variation, explanation), types of questions - (Essay types questions - meaning, types, merits, demerits and objective types questions - meaning, types, merits, demerits), Characteristics of a good question paper, teaching aids - (meaning, importance and types), meaning, merits and demerits of major methods of teaching (teacher-centered-lecture methods, student-centered-problem-solving method, group-centered-project methods), central tendencies of measurement (mean, median, mode), graphical representation of data, characteristics of a good text book.

Characteristics, Duties and Responsibilities of a proactive Headmaster; Characteristics, duties and responsibilities of a good teacher; Usefulness of time table and precautions to be kept in mind while preparing; Need and type of discipline (external discipline, internal discipline), meaning and

importance of co-curricular activities, importance of library, Meaning and usefulness of parent- teachers association, usefulness of educational tour; Organization of tournaments and matches (types and precautions), role of science club in the school.

परिशिष्ट–03

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

(क) उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील .....नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी. सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .....तहसील ..... नगर .... जिला .....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(ख) उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .... उत्तराखण्ड की .....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर .....जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : **हस्ताक्षर .....**

दिनांक : **पूरा नाम .....**

मुहर : **पदनाम .....**

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/ उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(ग) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या– 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

.....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .....

निवासी ग्राम .....तहसील ..... नगर .....

..... जिला .....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .....

..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर .....

पूरा नाम.....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

(सील) .....

(घ) निःशक्तता प्रमाण–पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – .....

तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .....
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री .....आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनां पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टॉगें और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता
(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बधिर
(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत ..... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

(i) एफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

(ii) पी पी–धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है ।
हॉ/नहीं

(iii) एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

(iv) के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं
हॉ/नहीं

(v) बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

(vi) एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।
हॉ/नहीं

(vii) एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

(viii) डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

(ix) एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

(x) एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

(xi) आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

डा0.....)	(डा0.....)	(डा0.....)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा
बोर्ड		

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64/XXXVI (3)/2019/19(1)/2019 दिः 07 मार्च, 2019 के अधीन)

(ड.) अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/पत्नी/पुत्री.....ग्राम/मुहल्ला.....

पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड़.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष..... की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता हैं :–

(I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या

(II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या

(III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड,या

(IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्रू पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

हस्तारक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम.....

पदनाम.....

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

परिशिष्ट–04

प्रयोगशाला सहायक, उच्च शिक्षा विभाग (समूह 'ग') परीक्षा–2023 हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंकः–

प्रश्नगत परीक्षा में अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 यथा संशोधित में वर्णित प्राविधान के तहत निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य हैः–

क्र0 सं0	श्रेणी/उपश्रेणी	सम्पूर्ण प्रवीणता–सूची तैयार किये जाने हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1.	अनारक्षित श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	**45%**
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	**40%**
3.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	**40%**
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	**35%**

नोट :: सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के क्रम में प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट–05

प्रयोगशाला सहायक, उच्च शिक्षा विभाग (समूह 'ग') परीक्षा–2023 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु परीक्षा केन्द्रों/जनपदों की सूची–

क्रमांक नं0	परीक्षा केन्द्र/जिला
01	Almora (अल्मोड़ा)
02	Bageshwar (बागेश्वर)
03	Champawat (चम्पावत)
04	Chamoli (चमोली)
05	Dehradun (देहरादून)
06	Haridwar (हरिद्वार)
07	Nainital (नैनीताल)
08	New Tehri (नई टिहरी)
09	Pithoragarh (पिथौरागढ़)
10	Pauri Garhwal (पौड़ी गढ़वाल)
11	Rudraprayag (रूद्रप्रयाग)
12	Udham Singh Nagar (ऊधमसिंह नगर)
13	Uttarkashi (उत्तरकाशी)

नोटः– आयोग, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित जनपदों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या न्यून होने की दशा मे अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य जनपद में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट–06

शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark दिव्यांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–6(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–6(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–6(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र **प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।**

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

6. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे

के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

7. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

8. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिशिचित की जाएगी।

-Sd-
सचिव

परिशिष्ट–06 (1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs …….. (name of the candidate with disability), a person with …….. (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o ……., a resident of ……..(Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट–06 (2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I ……., a candidate with …….(name of the disability) appearing for the …….(name of the examination) bearing Roll No. ……. at …….(name of the centre) in the District ……. (name of the State). My qualification is …….

I do hereby state that ……. (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ……. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट–07

संख्या : 442 /60/01/डी0आर0(मा0शि0)/सेवा–1/2016–17

दिनांक : 02 नवम्बर, 2022

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एव/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट–07(I)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के सबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट–07(I)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र निम्नवत गठित बहु–सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है–

i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
ii. Orthopaedic/PMR specialist
iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator
v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–07(I)** प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को

श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पर्वू मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान–पत्र के साथ **परिशिष्ट–07 (II)** प्रमाण–पत्र एवं **परिशिष्ट–07(I)** प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक–पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा मे ं अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–07(I)** प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू–तल पर निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिशिचित की जाएगी।

9. उक्त दिशा–निर्देश शासनादेश सख्या : 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होगें।

-Sd-
सचिव

परिशिष्ट–07 (I)

Appendix-07 (I)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.……(name of the candidate), s/o /D/o ……..a resident of …… ……. (Vill/PO/PS/District/State), aged…… yrs. a person ……(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer…… Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट–07 (II)
Appendix-07 (II)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I_____, a candidate with_____(nature of disability/condition) appearing for the _____(name of the examination) bearing Roll No. _____at_____(name of the center) in the District _____,_____(name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that_____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is_____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट–08

Check List

प्रयोगशाला सहायक, उच्च शिक्षा विभाग (समूह–ग) परीक्षा–2023 के अन्तर्गत अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख सम्बन्धी विवरण प्रपत्र।

अनुक्रमांक – **आवेदित पद–**

क्र0 सं0	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना प्रत्रक **(प्रपत्र संख्या–04)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र	
06	हाईस्कूल अंकतालिका,	
07	इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र *	
08	इण्टरमीडिएट अंकतालिका	
09	अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो)। (एक) संबंधित प्रयोगशाला विषय से संबंधित मान्यता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि। (दो) कम्प्यूटर अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित संस्थान का न्यूनतम 06 माह की अवधि का प्रमाण पत्र। (केन्द्र एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने– (क) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। (ख) एन0सी0सी0 बी अथवा सी प्रमाण पत्र	
10	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)** (यदि लागू हो)	
11	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/दिव्यांगता प्रमाण पत्र) (यदि लागू हो)	
12	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	
13	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।	
14	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या–A-3/DR/S-3/ 2023-24 दिनांक..... अगस्त, 2023 के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद (ग्रेड–पे 2400) से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) अथवा संबंधी संस्था/विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड–पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
15	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	

16	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण–पत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
17	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ।	
18	विज्ञापन के बिन्दु सं0–06 में अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (समूह ग पद हेतु) के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित वांछित अर्हता (Required Eligibility) के अंतर्गत (Yes) चयनित किये गये निम्न बिन्दु/बिन्दुओं में से किसी एक के समर्थन में पुष्ट प्रमाण–पत्र/अभिलेख–	
	1.Is Your name registered in any District Employment Office located in Uttarakhand State? अथवा	
	2. Are You Employed? अथवा	
	3. Have You passed your High School and Intermediate or any other equivalent exams from and recognized institution situated in the State of Uttarakhand? अथवा	
	4.(i) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Armed Forces/Paramilitary Forces serving in the state or Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(ii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the State Government/Semi Government organisation serving on a regular basis in the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	4.(iii) Are you or your spouse or your parents regular employees of the Central Government organisation/Central Government Public service undertaking and are working regularly on the state of Uttarakhand and whose services cannot be transferred outside the state of Uttarakhand? अथवा	
	5.(i) Are you permanent resident of Uttarakhand but residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose? अथवा	
	5.(ii) Is your spouse or your parents permanent residents of Uttarakhand but are residing outside Uttarakhand for livelihood/education purpose?	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि या अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2023 तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या–310, दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हो।

ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष 2022–2023 की आय गणना के आधार पर निर्गत हुआ होना चाहिए अर्थात् 01.04.2023 से पूर्व तिथि का निर्गत ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।

नोट–अभ्यर्थी उक्तानुसार समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी का नाम.....